यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटैक्निक, सहिया, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटैक्निक, सहिया, देहरादून के माह 07/2012 से माह 02/2019 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री सुनील कुमार सिन्हा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री अरिन्दम चैटर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 23.03.2019 से 28.03.2019 तकं सम्पादित किया गया।

<u>भाग-1</u>

1- **परिचयात्मकः-** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री पी॰ सी॰ श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 16.07.2012 से 21.07.2012 तक श्री एस. के त्यागी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 10/2011 से माह 06/2012 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 07/2012 से 02/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2- (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- इकाई द्वारा निर्धारित मानको के अनुरूप पाठयचर्चा एवं उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद, रूडकी के नियंत्रण में वार्षिक परीक्षाओ का आयोजन तथा परिणामो के आधार पर डिप्लोमा प्रदान के अतिरिक्त कैम्पस प्लेसमेंट द्वारा विभिन्न निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान में प्लेसमेंट का प्रयास किये जाना ।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः-

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**			**गैर स्थापना**		**बचत/ आधिक्य**
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**बचत/आधिक्य**	**आवंटन**	**व्यय**	
2016-17	Nil	Nil	59.75	58.88	0.87	13.87	13.61	0.26
2017-18	Nil	Nil	96.66	96.56	0.10	10.32	9.75	0.57
2018-19 (02/19)	Nil	Nil	120.84	110.46	10.38	6.78	3.98	2.80

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

(धनराशि ` लाख में)

योजना का नाम	**2016-17**			**2017.18**			**2018.19**		
	प्रा.अवशेष	**प्राप्ति**	**व्यय**	**प्रा.अवशेष**	**प्राप्ति**	**व्यय**	**प्रा.अवशेष**	**प्राप्ति**	**व्यय**
राष्ट्रीय सेवा योजना	Nil	0.22	0.22	--	0.19	0.09	0.1	--	--
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	Nil	3.28	3.26	0.02	1.88	1.71	0.17	--	--

(i) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार के माध्यम से किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाइ **"स"** श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढ़ांचा निम्नवत हैः- सचिव, प्रशिक्षण एवं तकनिकी शिक्षा विभाग → प्राविधिक शिक्षा निदेशालय ⟶ प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेकनिक

(ii)लेखा **परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः-** उत्तराखंड राज्य की सीमा में अवस्थित राज्य सरकार द्वारा संचालित, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारत सरकार नई दिल्ली के अनुमोदोंनपरांत डिप्लोमा स्तरीय पाठयक्रम के माध्यम से उपाधि प्रदान करना । समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटैक्निक, सहिया, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2015, 09/2016, 09/2017 एवं 10/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। निर्माण तथा क्रय से सम्बंधित अभिलेखों आदि का विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत किये गये व्यय के आधार पर किया गया।

(स) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 (डी. पी. सी. एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षक विनियम 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार संपादित की गयी।

<u>भाग- 2(अ)</u>

प्रस्तर 1: जनपद देहरादून में राजकीय पॉलिटैक्निक, सहिया के अनवासीय भवनों का निर्माण AICTE के मानक के विपरीत किया पाया बल्कि उक्त पर रु 446.10 लाख व्ययोपरांत निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा अपूर्ण रखा जाना परिणामस्वरूप रु 48.73 लाख का अतिरिक्त व्यय भार का वहन विभाग द्वारा किया जाना ।

राजकीय पॉलिटैक्निक, सहिया के अनावासीय भवनों का निर्माण हेतु प्रारम्भिक आंगणन कार्यदायी संख्या उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा रु 489.69 लाख गठितकर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रेषित की गयी थी। जिसके सापेक्ष शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-07 में तकनीकी परीक्षणोपरांत रु 446.10 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति शासनादेश सं० **941/XXIV(8)/2006-56/2005** दिनांक 13 नवम्बर 2006 द्वारा प्रदान कर कार्यदायी संस्था को रु 200.00 लाख की धनराशि प्रथम क़िस्त अवमुक्त की गयी थी। योजना निर्माण कार्य मार्च 2012 में पूर्ण होनी थी । प्रधानाचार्य राजकीय पॉलिटैक्निक देहरादून के पत्र सं० **699/स्था०/प्लान/2006-07** दिनांक 30.08.06 के द्वारा परियोजना प्रबन्धक उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम देहरादून को AICTE Norms के द्वारा आंगणन बनाने हेतु निर्देशित किया गया था ।

कार्यालय राजकीय पॉलिटैक्निक, सहिया के निर्माण संबंधी लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कार्यालयी संस्था उत्तर प्रदेश निर्माण निगम को मई 2013 तक योजना कि स्वीकृत धनराशि रु 446.10 लाख कार्यदायी संस्था को विभाग द्वारा अवमुक्त की गयी थी जिसके सापेक्ष कार्यदायी संस्था द्वारा सिर्फ प्रशासनिक भवन पूर्ण किया गया था जो प्रयोग में लाया जा रहा था तथा एकेडमिक ब्लॉक भवन में प्लास्टर, विधुत फिटिंग कार्य अपूर्ण थे तथा लैब ब्लॉक भवन नहीं बनाया था और ना ही एप्रोच रोड का डामरीकरण किया गया था और ना ही फ़ैन्सिंग तार-बाड़ की गयी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण स्थल पर वर्ष 2016 से कोई निर्माण कार्य नहीं किये गये थे बल्कि निर्माण कार्य अधूरा छोड़ा दिया गया था । लेखा परीक्षा द्वारा आगे पाया तथा All India Council For Technical Education द्वारा राजकीय पॉलिटैक्निक के निर्माण को निरीक्षण किये गए था । AICTE टीम द्वारा निर्धारित प्रारूप के विपरीत अधोमानक माना गया। इसके अलावा, All India Council for Technical Education के Expert visiting committee द्वारा भी रिपोर्ट में बताया गया कि “Area Deficit in most of the class rooms/laboratories workshop is present.” तथा लेखापरीक्षा अवधि (फरवरी 2019) तक निर्मित भवन कार्यदायी संस्था द्वारा विभाग को हस्तगत भी नहीं किया गया था फिर भी विभाग द्वारा अधोमानक भवन में पालीटेकनिक वर्ष 2009 से संचालित किया जा रहा था। इस प्रकार, राजकीय पॉलिटैक्निक सहिया के अनावासीय भवनों के निर्माण पर कार्यदायी संस्था द्वारा रु 446.10 लाख

व्ययोपरांत ना सिर्फ निर्माण कार्य अधूरा रखा गया था बल्कि AICTE के मानक अनुसार निर्माण कार्य निर्मित भी नहीं किया गया था ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्राचार्य द्वारा तथ्यों को स्वीकारते हुए बताया गया कि प्रशासनिक भवन संलग्न ड्राइंग के अनुसार बना है एकेडमिक block तत्काल ड्राइंग के अनुसार बना है परंतु कई कार्य अपूर्ण, कार्यशाला नहीं बनाया गया , ड्राइंग हाल नहीं बनाया गया , पुस्तकालय भवन नहीं बनाया गया । इसके अलावा, स्थलीय निरीक्षण में पॉलिटैक्निक का निर्माण AICTE के मानक के अनुसार न मानते हुए कमी इंगित की गयी थी ।

उक्त आख्या से स्पष्ट है कि कार्यदायी संस्था द्वारा पॉलिटैक्निक का निर्माण AICTE के मानक के अनुसार निर्माण नहीं किया गया बल्कि कार्यदायी संस्था द्वारा छोड़े गये निर्माण कार्य को विभाग द्वारा स्वयं पूर्ण किए जाने के कारण रु48.73 लाख का अतिरिक्त व्यय का वहन किया गया तथा विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य छोड़े जाने पर भवन बिना हस्तगत किये पॉलिटैक्निक का संचालन किया गया तथा विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी परिणामस्वरूप AICTE टीम द्वारा कार्यदायी संस्था द्वारा निर्मित पॉलिटैक्निक को अधोमानक मानने के कारण संस्था के छात्रों को बोर्ड परीक्षा, अन्य अनुमोदित संस्था में कराये जाने की व्यवस्था निदेशालय /परिषद द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है ।

इस प्रकार राजकीय पॉलिटैक्निक सहिया के अनावसीय भवनों का निर्माण कार्यदायी संस्था द्वारा AICTE मानक के अनुसार न किया गया तथा रु 446.10 लाख व्ययोपरांत निर्माण कार्य अपूर्ण रहने के परिणामस्वरूप रु 48.73 लाख का अतिरिक्त व्यय भार का वहन विभाग द्वारा किया गया संबन्धित प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है ।

STAN

प्रस्तर-1 राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत किये गये सात दिवसीय विशेष शिविर पर रु 21,038/- अनियमित व्यय के किया जाना ।

राज्य एन0एस0अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ ,उत्तराखण्ड, सचिवालय देहरादून के पत्रांक 271/XXIV (9)07/107 दिनॉक 8 दिसम्बर 2017 के द्वारा समस्त कार्यक्रम समन्वयक/समस्त प्राचार्य/प्रधानाध्यापक को निर्देषित किया गया था कि शिक्षण संस्थाओं द्वारा आवासीय शिविर (दिन-रात) में रात्रि विश्राम अपने शिक्षण परिसर में न किया जाय तथा वर्ष 2017-18 में सात दिवसीय विशेष शिविर का निरीक्षण शासन स्तर से प्रत्येक जनपद में जनपद समन्वयक के माध्यम से किया जाना था तथा किसी ईकाई द्वारा शासनादेशानुसार कढ़ाई से पालन न करने की स्थिति में विशेष शिविर के निरस्त होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बधित कार्यक्रम अधिकारी शिक्षण संस्थान की होगी तथा प्रस्तावित विशेष शिविरों की सूचना संलग्न प्रारूप में राजकीय सेवा प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन देहरादून को प्रेषित किया जाना प्रस्तावित था । जिससे कि विशेष शिविर का निरीक्षण शासन स्तर से सुनिश्चित किया जा सके।

कार्यालय राजकीय पॉलीटेक्निक सहिया के लेखा-अभिलेखो की जॉच में पाया गया कि वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 में कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत 7 दिवसीय विशेष शिविर(दिन-रात) आयोजन किया गया तथा उस पर कुल व्यय रु 21,038/- किया गया जिसका विवरण निम्नवत है।

वर्ष	**7 दिवसीय आयोजन स्थल एवं दिनांक**	**प्रतिभाग स्वयंसेवी की सं0**	**व्यय धनराषि**
2016-17	02/01/2017 से 08/01/2017	28	11200
2017-18	29/12/2017 से 04/01/2018	25	9,838
कुल योग-			21,038

लेकिन अभिलेखों की जॉच में आगे पाया गया कि उक्त दोनों आयोजनों में शिविर (दिन-रात) रात्रि विश्राम से सम्बन्धित साक्ष्य अभिलेख लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नही किया गया ना ही जिला समन्वय अधिकारी द्वारा विशेष शिविर शिक्षण स्थान से बाहर संपादित होने की संपुष्टि की गयी जिससे स्पष्ट होता है कि ईकाई द्वारा विशेष शिविर 7 दिन आवासीय (दिन-रात) रात्रि विश्राम शासनादेशानुसार शिक्षण संस्थान से बाहर आयोजित नहीं किया गया। अतः उक्त शिविर शासनादेश के शर्तों के विपरीत इकाई कार्यालय द्वारा आयोजित शिविर कार्यक्रम पर किया गया कुल व्यय रू0 21,038 अनियमित प्रतीत होता है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर प्राचार्य द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत दो विशेष शिविर 2016-17 व 2017-18 भौतिक रूप से ग्राम बोहरी एवं ग्राम कुरोली में ही आयोजित किये गये महिला प्रतिभागी स्वयं सेवकों की राशि में सुरक्षा की दृष्टि से रा० पा० सहिया में शयन की अनुमति

प्रधानाचार्य से प्राप्त रात्रि विश्राम पॉलिटैक्निक भवन में किया गया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि योजना की शर्तों के अनुसार सात दिवसीय शिविर का आयोजन शिक्षण संस्थान के बाहर शिविर (रात्रि-विश्राम) का सात दिवसीय कैंप किया जाना अपेक्षित था जबकि इसके विपरीत इकाई कार्यालय द्वारा बिना रात्रि विश्राम सात दिवसीय शिविर का आयोजन किये योजना के शर्तों के विपरीत रु 21,038/- का अनियमित व्यय किया गया ।

इस प्रकार, राष्ट्रीय सेवा योजना के शर्तों के विपरीत बिना रात्रि विश्राम सात दिवसीय शिविर का आयोजन पर रु 21,038/- का अनियमित व्यय किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्नवत् है;

प्रति.संख्या	**वर्ष**	**भाग-दो अ प्रस्तर सं0**	**भाग-दो ब प्रस्तर सं0**	**STAN प्रस्तर सं0**
48	2012-13	शून्य	01	शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अलुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
उपरोक्त वर्णित अनिस्तारित प्रस्तरों के निस्तारण के सम्बन्ध में इकाई ने अवगत कराया कि संदर्भित प्रस्तर की अनुपालन आख्या लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया नही जा सका एवं वर्तमान स्थिति को लेते हुए तैयार कर उचित माध्यम से प्रधान महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाएगा।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

वर्ष 2016-17 में उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित वार्षिक परीक्षा में इस संस्था के छात्र मेरिट सूचि में प्रथम स्थान प्राप्त है ।

वर्ष 2017-18 में राज्य स्तरीय इंटरपॉलिटैक्निक खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता में संस्था के छात्र द्वारा गोला फेक प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाकर गोल्ड मैडल विजेता होना ।

भाग-V

आभार

1- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधित सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेकनिक, सहिया, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

(अ) **शून्य**

2- सतत अनियमितताएं:-

(अ) **शून्य**

3- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम संख्या	**नाम**	**पदनाम**
1	श्री ए. के. सक्सेना	प्रधानाचार्य
2	श्री डी . सी . गुप्ता	प्रधानाचार्य

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेकनिक, सहिया, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित कर दी जांए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

(सामाजिक क्षेत्र)